



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15112021-231152
CG-DL-E-15112021-231152

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4363]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 15, 2021/कार्तिक 24, 1943

No. 4363]

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 15, 2021/KARTIKA 24, 1943

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 नवम्बर, 2021

का.आ.4729(अ).—सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के नियम 3 के उप- नियम (1) के खंड (घ) के साथ पठित सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 के 21) की धारा 79 की उप- धारा (3) के खंड (ख) के अनुसरण में, केंद्र सरकार एतद्वारा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में एक अधिकारी (तंबाकू नियंत्रण) (कम से कम उप- सचिव रैंक के केंद्र सरकार के अधिकारी) को सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध तथा व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 (2003 का 34) तथा इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट का निषेध (उत्पादन, विनिर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, बिक्री, वितरण, भंडारण तथा विज्ञापन) अधिनियम, 2019 (2019 का 42) के संबंध में उक्त नियमों के उद्देश्य से नोडल अधिकारी के रूप में मनोनीत करती है।

[फा. सं. पी.16012/11/2018-टीसी]

विकास शील, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE**(Department of Health and Family Welfare)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 15th November, 2021

S.O. 4729(E).—In pursuance of clause (b) of sub-section (3) of section 79 of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000) read with clause (d) of sub-rule (1) of rule 3 of the Information Technology (Guidelines for Intermediaries and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021, the Central Government hereby designates an Officer (Tobacco Control) (being an officer of the Central Government not below the rank of Deputy Secretary), in the Department of Health and Family Welfare, Ministry of Health and Family Welfare, as the nodal officer for the purposes of the said rules in respect to the Cigarettes and Other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) Act, 2003 (34 of 2003) and the Prohibition of Electronic Cigarettes (Production, Manufacture, Import, Export, Transport, Sale, Distribution, Storage and Advertisement) Act, 2019 (42 of 2019).

[F. No. P. 16012/11/2018-TC]

VIKAS SHEEL, Addl. Secy.